23/4/26

पत्रावली पेश। निग० पत्रा० हुई उभय पक्ष अनु०
प्रा०पत्र प्रार्थी [illegible] [illegible] दावा [illegible] निगरानी
निग० अभाव में खारिज। निगरानी पत्रा०
हो [illegible] में [illegible]

आदेश उच्चारित

G/CMS
2025/646

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:10 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

राजोदेवी बनाम आशा रानी व अन्य

किस्म मुकदमाः–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–269/2025 (GCMS No. 2025/646)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2026		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया के नाम से वाके चक 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 35/9 के प0न0 240/63 (28) के किला नं. 11 ता 22/2 में 2.580 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 2/29 के पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि को आवागमन हेतु कोई रास्ता उपस्थित नही है। प्रार्थीया आवागमन के लिये चक 6 जीडीएम के पत्थर नं. 240/61 व पत्थर नं. 240/62 के किला नं. 1/1, 10/1, 11/1, 20/2, 21/2 में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर प0न0 240/63 के किला नं. 1–10 में पश्चिम साईड में उत्तर–दक्षिण उपयोग में ला रही है। रास्ता स्वीकृतशुदा नही होने से प्रार्थीया को अपने खातेदारी रकबा में आने–जाने की परेशानी होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या–1 के नाम अंकित भूमि वाके चक 6 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 1 में 0.012 हैक्टर पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण व अप्रार्थी संख्या–2 की भूमि वाके चक 6 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 10 में 0.012 हैक्टर पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 1–10 में पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में आने वाली भूमि के बदला में अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते प्रार्थीया द्वारा भूमि दी जाती है तो रास्ता स्वीकृत करने में कोई ऐतराज नही है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी रकबा वाके चक 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 35/9 के प0न0 240/63 (28) के किला नं. 11 ता 22/2 में 2.580 हैक्टर भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 10 इस प्रकार उक्त दोनों किलाजात में प्रत्येक में 0.012 हैक्टर पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण रास्ता हेतु स्वीकृत करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1–2 ने प्रार्थी के नाम अंकित भूमि के किला नं. 12–13 के उत्तरी पासा की भूमि रास्ता के बदला में देने के उपरान्त रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 35/9 के प0न0 240/63 (28) के किला नं. 11 ता 22/2 में 2.580 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 240/63 (28) के किला नं. 10 इस प्रकार उक्त दोनों किलाजात (प्रत्येक किला में 0.012 हैक्टर पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण) कुल 0.024 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत की जाती है। इसे राजस्व [illegible] रास्ता अंकित किया जावे। उक्त रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रहेगा। [illegible] स्वीकृत रास्ता के बदला में प्रार्थीया राजोदेवी पत्नी ओमप्रकाश के खातेदारी रकबा चक [illegible] डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 7[illegible] 240/63 (28) के किला नं. 12 में 0.012 एवं कि[illegible] पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) कुल 0.024 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1–2 (आशारानी व हेतराम) के नाम खातेदारी ब.हि.बराबर अंकित करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ को इसी अनुसार पालना करने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:10 IST
Reason: SelfAttested